राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान,
शामला हिल्स, भोपाल

आवेदकों हेतु निर्देश

1. सामान्य

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1965 में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करने की चुनौतियों का सामना करने हेतु स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है । दीर्घ व लघु समयावधि के पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा, संस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन द्यु एवं दादरा नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों में पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की व्यापक रूप से विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करता है । यह एक स्वायत्त संगठन है, जो पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है |

i. **संस्थान की सेवा सरकारी सेवा नहीं है | संस्थान समय-समय पर लागू होने वाले सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है।**

ii. **पदों पर नियुक्तियां प्रथमतया अस्थायी आधार पर की जाती हैं | समय-समय पर स्वीकृत केंद्र सरकार के समतुल्य महंगाई एवं अन्य भत्ते स्वीकार्य होते हैं । समय-समय पर संस्थान के लागू नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत(एलटीसी) का लाभ एवं चिकित्सा सुविधाएं भी स्वीकार्य हैं | नई भर्तियों के संबंध में नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू है |**

iii. **नियमानुसार पेंशन लाभ के प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवाओं की गणना मान्य होती है | सीसीएस(केंद्रीय कर्मचारी सेवा) पेंशन नियमों के आधार पर पेंशन के लिए सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ भी मान्य है |**

iv. **एनआईटीटीटीआर भोपाल बीओजी संकल्प संख्या(रेज़ोलुशन) 156.8.2 के अनुसार - उपर्युक्त आयुसीमा में आयु में छूट दी जाएगी, केवल संस्थान में सेवा की वास्तविक अवधि पर ही विचार किया जाएगा जो कि यह अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक ही मान्य होगी।**

2. आवेदन-पत्र भरने एवं जमा करने संबंधी निर्देश

आवेदन संस्थान की वेबसाइट (www.nitttrbpl.ac.in) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए । इसका प्रिंट लेकर डाक द्वारा भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से कार्य समय (सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे) के दौरान जमा किया जा सकता है | आवेदकों उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने आवेदन स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले भेजें | एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन शुल्क के साथ अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे |

आवेदन पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ दिए गए क्रम में विधिवत व्यवस्थित होना चाहिए :-

i. इस पत्रक में उल्लिखित राशि की ऑनलाइन भुगतान (लेनदेन) की रसीद।

ii. "आवेदन पत्र"

iii. आयु का प्रमाण

iv. शैक्षिक योग्यता के प्रमाण

v. अनुसंधान गतिविधियों के साक्ष्य

vi. अनुभव का प्रमाण, यदि कोई हो तो

vii. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए जाति का प्रमाण पत्र - जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत जारी किया गया हो |

viii. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति एवं सतर्कता निर्बाधन प्रमाणपत्र, जहां भी लागू हो

ix. विज्ञापन में या निर्देशों में मांगे गए अन्य दस्तावेज या दस्तावेज (यदि कोई हो) |

3. दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है

i. आवेदन शुल्क : रुपये 1000/- स्तर 6 के पदों के लिए (जीपी रु. 4200/-), स्तर 10 (जीपी रु. 5400/-) और रु. 750/- लेविल 6 से नीचे व अन्य सभी लेविल हेतु ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी और महिलाओं से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट प्रदान की गई है |

ii आवेदन पत्र: इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय, उम्मीदवार को आवेदन पत्र के संबंधित अनुभागों को भरना चाहिए।

iii आयु का प्रमाण: कृपया आयु के प्रमाण के रूप में हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल/सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (SSSC) की विधिवत स्व-सत्यापित प्रति भेजें।

iv शैक्षिक योग्यता का प्रमाण: उम्मीदवार को शैक्षिक या तकनीकी योग्यता (ओं) के प्रमाण के रूप में अपनी डिग्री या डिप्लोमा आदि की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

v अनुभव का साक्ष्य यदि कोई हो : नियोक्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां, यदि कोई हो, को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया जा सकता है।

vii आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या पीडब्ल्यूडी से संबंधित आवेदकों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के साथ जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करने आवश्यक हैं |

4. आवेदकों को प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए | ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र को लौटाने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी | चयनित आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने की स्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे |

5. आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/सामग्री के आधार पर संस्थान प्रारंभिक जांच/ स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा | यदि बेहतर-योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता रखने मात्र से कोई उम्मीदवार स्वतः ही परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।

6. कोई भी उम्मीदवार जो आवेदन शुल्क जमा करने या व्यक्तिगत साक्षात्कार यालिखित या तकनीकी/कौशल परीक्षा, यदि कोई हो, यदि संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, उसके लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जा सकेगा |

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी से संबंधित उम्मीदवारों को यदि परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें टिकट/पीएनआर नंबर या टिकट, जो

भी हो, प्रस्तुत करने पर स्लीपर क्लास/वास्तविक बस किराए का द्वितीय श्रेणी का रेलवे किराया का भुगतान किया जाएगा।

8. ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार के निर्धारित प्रारूप के अनुसार उचित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए | (जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार या समय-समय पर भारत सरकार के जारी नियमों के तहत मान्य होना चाहिए |)

8. योग्यता और अनुभव के संबंध में निर्धारित शर्तें संलग्न परिशिष्ट में दी गई हैं। यह उम्मीदवारों को स्वयं देखना है कि क्या वे निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और क्या आवेदन करना उचित है।

9. ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को भारत सरकार के प्रारूप के अनुसार उचित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि या समय-समय पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार मान्य होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार उनकी पात्रता पर आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए जारी एक वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना चाहिए| ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में भारत के ओएम संख्या 36039/112019-स्था (आरईएस) दिनांक 31/01/2019|

10. कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले चयनित उम्मीदवारों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी| उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल से भी सूचित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है |
11. बीओजी के निर्णय 156.5.2 के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को संस्थान परिसर में निवास करना अनिवार्य होगा | एचआरए के स्थान पर पात्रता अनुसार उपलब्धता आधार पर आवास प्रदान किया जाएगा | यदि आवास उपलब्ध नहीं कराया गया तब उन्हें एचआरए नहीं छोड़ना होगा |
12. पूर्व से ही स्थायी या अस्थायी सेवा में कार्यरत आवेदकों को उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए |__सरकारी / अर्ध सरकारी / सरकार से सहायता प्राप्त/स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से आमंत्रित आवेदकों को साक्षात्कार

या जैसा भी मामला हो, <u>दस्तावेज सत्यापन के समय</u> अपने नियोक्ता से मुहरबंद लिफाफे में (जहां भी लागू हो) सतर्कता निर्बाधन प्रमाणपत्र के साथ 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा |

13. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन भेजें | आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के चुनाव / शॉर्ट-लिस्ट करने हेतु स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा क्रियाविधि तैयार की जाएगी |

14. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार आवेदकों की पात्रता निर्धारित की जाएगी |

15. एक बार आवेदन जमा करने के उपरान्त जमा किए गए आवेदन में अन्य कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा |

16. आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं है |

17. यह देखना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी कि आपके आवेदन ऑनलाइन जमा करना है अथवा भेजा जाना है, ताकि आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले संस्थान के कार्यालय में पहुंच सकें | आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों का सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा एवं उनकी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। |

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी | किसी भी समय, रोजगार में शामिल होने के बाद भी, यदि कोई दस्तावेज नियुक्ति से पहले या बाद में गलत/नकली/गलत पाया जाता है, तो दस्तावेज को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा या उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिससे नियुक्ति रद्द हो सकती है, जैसा भी मामला हो |

19. किसी भी गलत सूचना/प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्थिति में, इसे स्वत: ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20. किसी भी रूप में प्रचार/संयाचना किए जाने को आवेदक की अयोग्यता माना जाएगा |

******